हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

60वी बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 01/09/2016 समयः– अपरान्ह् 04:00 बजे

स्थानः– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, सभागार

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	60 वी बोर्ड बैठक मद सं0–01	प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एवं 59 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि	01
2	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–02	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एंव 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2015 की अनुपालन आख्या	02 से 12 तक
3	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–03 (अ)	हरिद्वार महायोजना–2025, ऋषिकेश महायोजना एंव रुडकी महायोजना के सम्बन्ध में।	13 से 14 तक
4	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–04	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक। वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2016–16 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	15 से 19 तक
5	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–05	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	20
6	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–06	कार्यालय विनियमित क्षेत्र रुड़की द्वारा विनियमित क्षेत्र रूड़की में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता के सम्बन्ध में।	21 से 24 तक
7	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–07	हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड/अभिलेखों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	25
8	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–08	प्रबन्धक श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा हरिद्वार–ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम परिवार में मार्ग के किनारे निर्मित अग्रभाग मे निर्मित "आश्रम" उपयोग के ब्लॉक मे भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति के निर्मित किये "बैंकों" के निर्माण को शमन कराये जाने के साथ परिसर अन्तर्गत अन्य भवनों के नव निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या मान0/हरि0/आर0एस0–75/223/2015–16 की स्वीकृति के सम्बन्ध में	26
9	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–09	श्री समरेस कुमार सिंह, पुत्र श्री राम नाथ सिंह, डायरेक्टर मैसर्स माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0–917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवम् सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या– मान0/हरि0/आर0एस0–54/96/2016–17 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	27
10	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–10	महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव, निरन्जनी अखाड़ा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं0–446 मि0, 443, 442 मि0, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में स्थित भूमि पर आश्रम/संस्था के अनुयाईयों एंव सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों के रूप में निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु (ग्रुप हाउसिंग) प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या– मान0/हरि0/आर0एस0–84/236/2015–16 के सम्बन्ध में।	28
11	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–11	श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहरहदूद) खसरा नं0–824 मि0, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला–हरिद्वार में स्थित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या– मान0/हरि0/आर0एस0–41/75/2016–17 के सम्बन्ध में।	29
12	60 वीं बोर्ड बैठक मद सं0–12	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	30

मद संख्या 60–(1)

प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एवं 59 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 को एंव 59 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) दिनांक 23.11.2015 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 58 वीं एंव 59वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

EE

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01–09–2016 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01–09–2016 को मा0 अध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में प्राधिकरण हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयी :–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री हरिदास, मा0 अध्यक्ष /विधायक, झबरेडा ।	अध्यक्ष
2. श्री हरबंस सिंह चुघ, उपाध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0	पदेन सदस्य
3. श्री जे0एस0नगन्याल, अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
4. श्री जय भारत सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार, प्रशासक नगर पंचायत रानीपुर	पदेन सदस्य
5. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश।	पदेन सदस्य
6. श्री वी0पी0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक,(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड)	पदेन सदस्य
7. श्री सुनील श्री पांथरी, संयुक्त सचिव,(सचिव,सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
8. श्रीमती विप्रा त्रिवेदी,नगर आयुक्त,नगर निगम, हरिद्वार	पदेन सदस्य
9. श्री अजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता,जल संस्थान हरिद्वार(प्रमुख सचिव पेयजल के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
10.श्री आदेश कुमार, एस0आई0 (अध्यक्ष, नगर पालिका मुनिकीरेती के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
11.श्री इरशाद खान, 171/152 मेहतान, पींठ बाजार, ज्वालापुर, हरिद्वार	गैर सरकारी सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष /विधायक, श्री हरिदास द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् मा0 अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

मद संख्या–60(1) प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–07–2015 एवं 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–11–2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

Secretary

Vice Chairman

Chairman

मद संख्या 60–(02)
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 एवं 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2015 की अनुपालन आख्याः–

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
प्राधिकरण की 58वी बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 की अनुपालन आख्या			
58, मद संख्या–1	प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–	प्राधिकरण की 57 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–10–2014 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तद्नुसार पुष्टि की गई ।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
46 मद संख्या–4	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक।	हरिद्वार विकास क्षेत्र के हर की पैडी एवं गंगा किनारे स्थित घनी आबादी क्षेत्रान्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड में विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इन निर्माणों का सर्वे कर ऐसे प्रकरणों की उक्त जोन में एक सूची तैयार कर ली जाये तथा होटल मालिकों की बैठक बुलाकर विस्तृत रिर्पोट सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1136 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को सम्बन्धित निर्माणों का सर्वे कराकर सूची उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया। सर्वे का कार्य किया जा रहा है।
56.मद संख्या–2	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक निर्णय की अनुपालना से बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई तथा सचिव, एच0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में सहयुक्त नियोजक, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की एक समिति गठित करने एवं समिति जोनल प्लान पर आम जन से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करते हुए नियोजन विभाग की राय प्राप्त करते हुए शासन के अनुमोदन हेतु संस्तुत करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 1224 दिनांक 06.08.2015 द्वारा वरिष्ठ नियोजक गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया। सी0टी0सी0पी0 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण पृथक से **एजेण्डा मद–3(अ)** पर प्रस्तुत किया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

<u>मद संख्या–60(2)</u> हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–07–2015 एवं 59 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–11–2015 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई एवं निम्नवत निर्देश दिये गये ।

46(04) हरिद्वार विकास क्षेत्र के हर की पैडी एवं गंगा किनारे स्थित घनी आवादी क्षेत्रान्तर्गत आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में अवशेष अनुपालन भी कर लिया जाय।

56(12) इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नर्सरी स्कूल भूखण्ड आवंटन विषयक प्रकरण पर प्राधिकरण अधिवक्ता शीघ्र मा0 उच्च न्यायालय में वाद का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय के आदेश से बोर्ड को अवगत करायें।

<u>मद संख्या–60(3)</u>

(अ) स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के कार्य में बिलम्ब के सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक द्वारा बोर्ड को आश्वस्त कराया गया कि 03 सेक्टर के जोनल प्लान प्राधिकरण को उपलब्ध करा दिये गये हैं और उनके स्तर से शीघ्र ही 03 अन्य सेक्टर के जोनल प्लान उपलब्ध करा दिये जायेगें इस प्रकार 06 सेक्टरों के जोनल प्लान पर जन–सामान्य के सुझाव प्राप्त करने एवं प्राप्त सुझावों पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलाये जाने का अनुरोध शीघ्र बोर्ड से किया जायेगा। कार्य में तेजी लाने एवं शीघ्र सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये ।

Secretary | Vice Chairman | Chairman

123

56.मद संख्य–12	**इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नर्सरी स्कूल भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।**	इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नर्सरी स्कूल भूखण्ड आवंटन विषयक प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई चूँकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के समक्ष विचाराधीन है वाद निर्णित होने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कराते हुए वाद का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र सुनिश्चित करते हुए मा0 न्यायालय के आदेश से बोर्ड को अवगत करायेंगे।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण अधिवक्ता को निर्देशित किया गया। प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में सुश्री पुजा बांगा, एडवोकेट द्वारा रिट को शीध्र निस्तारण हेतु एक्सपीडाईट एप्लिकेशन लगायी गयी थी तथा मा0 न्यायालय द्वारा याची को रिजोईन्डर एफिडडेफिट का समय दिया है याचिका वर्तमान में सूची बद्ध नहीं हो पा रही है। शीध्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
57 मद संख्या–5	**सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, गढवाल, नगर एंव ग्राम नियोजनविभाग उत्तराखण्ड को ऋषिकेश महायोजना भाग–ब(2011–2026) तैयार कराये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, गढवाल, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड को ऋषिकेश महायोजना भाग–ब (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1139 दिनांक 28 जुलाई 2015 द्वारा सहयुक्त नियोजक गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड देहरादून को ऋषिकेश महायोजना तैयार किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण पृथक से **एजेण्डा मद–3(ब)** पर प्रस्तुत किया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
57 मद संख्या–7	**ऋषिकेश महायोजना–2011 में निर्धारित भू–उपयोग "पशुलोक" के सम्बन्ध में**	ऋषिकेश महायोजना–2011 में निर्धारित भू–उपयोग **"पशुलोक"** सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भू–उपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्व में शासन को सन्दर्भित पत्र पर अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये। चूँकि उक्त क्षेत्र में लगातार अनियंत्रित एवं अवैध विकास निर्माण कार्य जारी है।	निर्णय के अनुपालन में अनुस्मारक पत्र संख्या 1499 दिनांक 04.09.2015 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किया गया।
57 मद संख्या 17	**हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के फलस्वरूप प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा/ अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में**	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन के फलस्वरूप प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा /अतिरिक्त पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पूर्व सन्दर्भित पत्र पर अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1295 दिनांक 17.08.2015 द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। एवं अनुस्मारक कार्यालय पत्र संख्या 735/प्रशा0 3(ग)–21/2016 दिनांक 22.07.2016 शासन को प्रेषित किया गया।

57 मद संख्या 18	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में उपसचिव की तैनाती के सम्बन्ध में	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में उपसचिव की तैनाती सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा उप जिलाधिकारी /अपर उप जिलाधिकारी रूड़की को उप सचिव नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पूर्व प्रेषित पत्र पर अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1294 दिनांक 17.08.2015 द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। शासन के निर्णय की प्रत्याशा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपजिलाधिकारी को उपसचिव की तैनाती कार्यालय आदेश संख्या 508 दिनांक 10 जून 2016 द्वारा कर दी गयी है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
57 मद संख्या 28	प्राधिकरण तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एंव लेखपाल की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति विषयक	आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त सेवा निवृत्त तहसीलदार के प्रत्येक माह में किये गये कार्यो के मूल्यांकन के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 03	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित आय–व्यक। वित्तीय वर्ष 2014–15 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्यक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित आय–व्यक एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 का वास्तविक आय–व्यक पर बोर्ड में विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा के उपरान्त अवस्थापना विकास निधि से कार्यो की स्वीकृति समय से न होने के कारण अवस्थापना विकास निधि समिति की अध्यक्षता एच0आर0डी0ए0 अध्यक्ष से कराये जाने सम्बन्धी पत्र शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये ताकि पूर्व में जारी उ0प्र0सरकार, आवास अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–152/9–आ–1–1998 दि0 15–01–1998 में संशोधन किया जा सके। प्रस्तावित बजट को सर्व सम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। बित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्ताव एजेण्डा **मद संख्या–04** पर प्रस्तुत किया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 04	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून प्रस्तावित भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/ विनियम–2011 (संशोधन–2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम–2011 (संशोधन–2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तथा सर्व–सम्मति से अंगीकृत करते हुए तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में लागू किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा जारी संशोधित भवन उपविधि–2015 को अंगीकृत किये जाने की सूचना शासन को कार्यालय पत्र संख्या 1184 दिनांक 03.08.15 द्वारा सूचनार्थ एंव हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में लागू किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1185 दिनांक 03.08.15 द्वारा अनुपालन हेतु जारी किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 05	ऋषिकेश महायोजना के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल एवं पौडी गढवाल के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र में मानते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम–2011 व (संशोधित–2015) प्रस्तर 2.30 के आवश्यक संशोधन विषयक	ऋषिकेश महायोजना में जिला टिहरी–गढ़वाल एवं पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र में मानते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 व (संशोधित–2015) प्रस्तर 2.30 में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति प्रदान की गई तथा प्रकरण पर शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 2013 दिनांक 08.12.2015 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के प्रस्तर 2.3 में संशोधन कर शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। उक्त संशोधन को वर्तमान में लागू भवन उपविधि में सम्मिलित किया जा चुका है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 06	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूडकी क्षेत्र में हेतु महायोजना तैयार किये जाने विषयक।	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूड़की क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार किये जाने विषयक प्रस्ताव पर सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए अवशेष लगभग 17600 हैक्टेयर क्षेत्र का सर्वे रू0 290.00 प्रति हैक्टेयर की दर से कार्यदायी संस्था मै0 सी0ई0 इन्फो सिस्टम से सम्पन्न कराने एवं कार्यदायी संस्था के कार्यो का परीक्षण एवं अनुश्रवण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से कराये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा रूडकी महायोजना तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित फर्म से अनुबन्ध कर कार्य आदेश संख्या 2555 दिनांक 02 जनवरी 2015 जारी किया जा चुका है। जिसमें कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 30.06.2016 निर्धारित है। कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण पृथक से एजेण्डा मद–3(स) पर प्रस्तुत किया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 07	हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त रूडकी क्षेत्र में प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन/क्रय करने विषयक।	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त रूड़की क्षेत्र में प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन /क्रय करने विषयक प्रस्ताव पर विस्तार से विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा रूड़की क्षेत्रान्तर्गत आवासीय कालोनियॉ विकसित करने हेतु सरकारी स्वामित्व वाली भूमि, नजूल भूमि का कब्जा लेने तथा निजी स्वामित्व वाली भूमि को आपसी समझौते /सर्किल रेट पर क्रय किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये है। लैण्ड बैंक बनाने एवं अधिकाधिक रूप से आवासीय कालोनी विकसित करने से जन–सामान्य के उपयोगार्थ सस्ते आवास निर्मित करने से जहॉ अवैध कालोनियों के निर्माणों को भी हत्तोसाहित किये जाने के निर्देश भी बोर्ड द्वारा दिये गये। आवासीय कालोनियॉ विकसित करने से सुनियोजित विकास के साथ–साथ प्राधिकरण की आय में भी बढोत्तरी के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये। श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश द्वारा ऋषिकेश में भी आवासीय कालोनी विकसित किये जाने हेतु आवास विकास परिषद से वापस की गई 50 बीघा भूमि का आपसी समझौते /सर्किल रेट पर क्रय किये जाने का सुझाव दिया गया जिस पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए उक्त भूमि के क्रय करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में ग्राम शेखुपर उर्फ कनखल के खसरा संख्या 184 एंव खसरा संख्या 191 की कुल भूमि को आपसी सहमति के आधारा पर क्रय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त ग्राम मलकपुर, लतीफपुर, रूडकी की नजूल भूमि के खसरा संख्या 254, 255, 256 को प्राधिकरण में हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।
58 मद संख्या 08	कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूड़की द्वारा विनियमित क्षेत्र रूड़की में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता के सम्बन्ध में।	कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूड़की द्वारा विनियमित क्षेत्र रूड़की में कराये गये विभिन्न विकास कार्यो की अवशेष देयता सम्बन्धी प्रकरण पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा हुई तथा विचार–विमर्श उपरान्त सचिव की अध्यक्षता में मुख्य वित्त अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता की समिति गठित करते हुए उक्त अवशेष कार्यो की पत्रावलियों का परीक्षण कर अपनी रिर्पोट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण पृथक से एजेण्डा मद संख्या 06 पर प्रस्तुत है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 09	प्राधिकरण द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग / सामुहिक आवास (मल्टी स्टोर) भवनों के विक्रय मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पत्तियों की कास्टिंग के सम्बन्ध में निर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाईड लाईन्स) शासनादेश संख्या–404919–आ–1–99 / 16 समिति / 1998 दिनांक 20.10.1999 जो प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक संख्या–29 दिनांक 21.12.1999 के मद संख्या–29(06) में यथावत अंगीकृत किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उक्त मार्ग दर्शक सिद्धान्त में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग / सामूहिक आवास (मल्टी स्टोरी) भवनों के विक्रय मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पत्तियों की कास्टिंग के सम्बन्ध में निर्गत मार्ग दर्शक सिद्धान्त (गाईड लाईन्स) शासनादेश सं0–4049 / 9–आ–1–99 / 16 समिति / 1998 दिनांक 20–10–1999 जो प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक संख्या–29 दिनांक 21–12–1999 के मद संख्या–29(06) में यथावत अंगीकृत किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप उक्त मार्ग दर्शक सिद्धान्त में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त गाइडलाइन्स के परीक्षण उपरान्त कार्यालय आख्यानुसार प्रस्तुत सुझाव से बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए निम्नवत संशोधन किये गये :– भवन मूल्य सभी श्रेणी के भवनो हेतु लागत (**Costing**) की गणना में आरोपित ब्याज दर 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किये जाने तथा ओवर हेड चार्जेज 15 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने एवं कन्टीन्जेन्सी मद में 15 प्रतिशत के स्थान पर उच्च आय वर्ग के भवनो में 10 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग के भवनो में 08 प्रतिशत तथा दुर्बल आय वर्ग के भवनो में 06 प्रतिशत किये गये।	निर्णय के अनुपालन में **2BHK** के प्रत्येक भवनों का विक्रय मूल्य रू0. 46,32,000–00 तथा **EWS** के प्रत्येक भवनों का विक्रय मूल्य रू0. 6,75,500–00 का निर्धारण दिनांक 31.03.2017 तक के लिए दिनांक 16.02.2016 में किया गया है। भवनों के विक्रय मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सूचना कार्यालय पत्र संख्या 2802 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा सम्पत्ति अधिकारी, हरिद्वार–रुडकी विकास प्राधिकरण को पंजीकरण / विक्रय हेतु सूचित किया गया है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है ।**

58 मद संख्या 10	**इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग) के अन्तर्गत निर्मित 2बी.एच.के. एवं 1 रूम भवनों के पंजीकरण को वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा उक्त योजनान्तर्गत निर्मित सभी भवनों के आवंटन होने तक (जो पहले हो) पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।**	इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप हाउसिंग) के अन्तर्गत निर्मित 2बी.एच.के. एवं 1 रूम भवनों के पंजीकरण को वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा उक्त योजनान्तर्गत निर्मित सभी भवनों के आवंटन होने तक (जो भी पहले हो) पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त भवनों के पंजीकरण हेतु टावर वाइज दिनांक 31 मार्च, 2016 तक खोले जाने एवं प्राप्त आवेदनों के प्रत्येक 2 माह में लाटरी द्वारा भवनों का नम्बर आवंटित करते हुए कब्जा आदि की कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही विचाराधीन हैं प्रथम चरण में भवनों के वाहय विकास उपरान्त ही पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। भवनों के वाहय विकास कार्य हेतु चयनित वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत आगणन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। लिफ्ट हेतु उ0प्र0रा0नि0नि0 से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वाहय विकास कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रण की कार्यवाही की जा रही है।
58 मद संख्या 11	**इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–दो में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवनों के निर्माण योजना को परिवर्तित करते हुये भूखण्डों के रूप विकसित कर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव।**	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवनों के निर्माण योजना को परिवर्तित करते हुये भूखण्डों के रूप में विकसित कर विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति उक्त 10.50 एकड भूमि को भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक एवं बडे आकार के आवासीय भूखण्ड (ग्रुप हाउसिंग हेतु) विकसित कर नीलामी के माध्यम से आवंटित करते हुए योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में योजना का तलपट मानचित्र एंव योजना के विकास कार्यों पर होने वाले व्यय एंव विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

58 मद संख्या 12	मानचित्रों पर स्वीकृति हेतु प्रदत्त अवधि की समाप्ति पर नवीनीकरण हेतु समय वृद्धि बढ़ाये जाने पर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।	मानचित्रों पर स्वीकृति हेतु प्रदत्त अवधि की समाप्ति पर नवीनीकरण हेतु समय वृद्धि बढ़ाये जाने पर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेशानुसार एक–एक वर्ष की समयावृद्धि हेतु प्रत्येक समयावृद्धि पर आवेदन शुल्क के बराबर शुल्क आवेदक से लिये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया ।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1140 दिनांक 28.07.15 द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को प्रेषित किया गया। तद्नुसार अनुपालन किया जा रहा है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 13	नगर सीमा के बाहर प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क, निर्माण में जल व्यय शुल्क, जल संयोजन, रोड़ कटिंग की दरों को संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	नगर सीमा के बाहर प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क निर्माण में जल व्यय शुल्क, जल–संयोजन, रोड कटिंग की दरों को संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड में विस्तार से विचार–विमर्श हुआ तथा विचार–विमर्श उपरान्त वर्तमान **Cost inflation index** के आधार पर बढ़ाने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1208 दिनांक 05.08.15 द्वारा शुल्कों के आरोपण हेतु आदेश जारी किया गया। तद्नुसार अनुपालन किया जा रहा है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 14	श्री बालकदास जी शिष्य श्री ध्रुवदास जी महाराज सचिव, श्री ध्रुवभक्ति सेवा आश्रम ट्रस्ट(रजि0) द्वारा ग्राम सज्जनपुर पीली परगना नजीबाबाद, तहसील व जिला–हरिद्वार के खाता नम्बर–69, खसरा नम्बर–154 में प्रस्तावित संकमण रोग चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के निर्माण के संबंध में।	श्री बालकदास जी शिष्य श्री ध्रुवदास जी महाराज सचिव, श्री ध्रुवभक्ति सेवा आश्रम ट्रस्ट (रजि0) द्वारा ग्राम सज्जनपुर पीली परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार के खाता नम्बर–69, खसरा नं0–154 में प्रस्तावित संक्रमण रोग चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के निर्माण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1143 दिनांक 29.07.15 द्वारा मानचित्र अस्वीकृति हेतु प्रेषित करते हुए सूचित किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 15	श्रीमती विनीता चौधरी पत्नी डा0 सुरेश चौधरी व श्री शिवेश चौधरी पुत्र डा0 सुरेश चौधरी द्वारा खसरा नं0–286, ग्राम गाजीवाला परगना नजीबाबाद तहसील व जिला–हरिद्वार में प्रस्तावित होटल भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक के अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	श्रीमती विनीता चौधरी पत्नी डा0 सुरेश चौधरी व श्री शिवेश चौधरी पुत्र डा0 सुरेश चौधरी द्वारा खसरा नं0–286, ग्राम गाजीवाला परगना नजीबाबाद तहसील व जिला–हरिद्वार में प्रस्तावित होटल भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुमोदन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित होटल का मानचित्र स्वीकृति हेतु आरोपित शुल्क रू0. 16,80,744–00 रसीद संख्या 73/17 दिनांक 06.04.2016 द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए कार्यालय पत्र संख्या 179 दिनांक 28.04.2016 द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते हुए **मानचित्र संख्या मान0/हरि0/आर0एस0–07/30/2015–16** निर्गत किया जा चुका है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 16	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री समेरू एवं श्री अतर सिंह पुत्र श्री भरतू एंव श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री घसीटू द्वारा खसरा नं0–148, 149, 150 ग्राम बेगमपुर कलियर बहादराबाद रोड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों के तलपट विन्यास मानचित्र की स्वीकृति हेतु बोर्ड बैठक के अनुमोदन विषयक।	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री समेरू एवं श्री अतर सिंह पुत्र श्री भरतू एवं श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री घसीटू द्वारा खसरा नं0–148, 149, 150 ग्राम बेगमपुर कलियर बहादराबाद रोड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो के तलपट विन्यास मानचित्र की स्वीकृति हेतु बोर्ड के अनुमोदन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में मानचित्र संख्या **मान0/हरि0/ले0–आ0–आर0एस0–06/147/2015–16** में कार्यालय पत्र संख्या 1666 दिनांक 29.09.2015 द्वारा आवेदक का मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित 14 आपत्तियों के निराकरण हेतु सूचित किया गया। आवेदक द्वारा कुल 14 आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय पत्र संख्या 2791 दिनांक 16.02.2016 द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 17	उत्तराखण्ड शासन के आवास विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 463/V–2013–05 (एल.यू.सी.) /2013 के द्वारा ग्राम जगजीतपुर, परगना ज्वालापुर हरिद्वार के खसरा नं0–113/1. में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड शासन, के आवास विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या–463 /V –2013–06 (एल.यू.सी) /2013 के द्वारा ग्राम जगजीतपुर परगना ज्वालापुर हरिद्वार के खसरा नं0–113 /1. में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से असहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1142 दिनांक 29.07.15 द्वारा मानचित्र संख्या **मान0/हरि0/एस0डब्लू0–276/2012–13** अस्वीकृति हेतु प्रेषित करते हुए सूचित किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 18	स्वामी शिवानन्द भारती, उमेश्वर धाम, सप्तसरोवर मार्ग, हरिद्वार द्वारा स्थित खसरा नम्बर–163 ग्राम श्यामपुर कांगडी, ग्राम गाजीवाला परगना नजीबाबाद तहसील व जिला–हरिद्वार में हरिद्वार में कुल क्षेत्रफल 2.772 हैक्टेयर भूमि पर पर्यटक भू–उपयोग से सामुदायिक भू–उपयोग (शिक्षण संस्था) हेतु भू–उपयोग परिवर्तिन के विषयक	स्वामी शिवानन्द भारती, उमेश्वर धाम, सप्तसरोवर मार्ग, हरिद्वार द्वारा स्थित खसरा नं0–163 ग्राम श्यामपुर कांगडी, ग्राम–गाजीवाला परगना नजीबाबाद तहसील व जिला–हरिद्वार में कुल क्षेत्रफल 2.772 हैक्टेयर भूमि पर पर्यटक भू–उपयोग से सामुदायिक भू–उपयोग (शिक्षण संस्था) हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए सर्व–सम्मति से शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1189 दिनांक 03 अगस्त 2015 द्वारा पर्यटन से सामुदायिक में भू परिवर्तन हेतु शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा चुका हैं। स्थल पर स्कूल भवन हेतु निर्माण का मानचित्र स्वीकृति हेतु कार्यालय में विचाराधीन है। मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 19	प्राधिकरण में कार्यरत मानचित्रकार के वेतनमान में संशोधन विषयक।	प्राधिकरण में कार्यरत मानचित्रकार के वेतनमान में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए शासनादेश को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण में तैनात मानचित्रकार के वेतनमान में संशोधन किया जा चुका है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
58 मद संख्या 20	प्राधिकरण कार्यालय प्रयोगार्थ 03 वाहन कय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण कार्यालय प्रयोगार्थ 03 वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा सर्व–सम्मति से 03 वाहन नियमानुसार क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की गयी। 1. पूर्व में नीलाम किये गये प्राधिकरण वाहन संख्या यू0ए0–08–बी0–1611 बोलेरो जीप के सापेक्ष एक नयी बोलेरो जीप यू0के0–08–ए0एल0 1213 बोलेरो जीप कय की जा चुकी है। 2. नीलाम किये गये प्राधिकरण वाहन संख्या यू0ए0–08–जे0 –2686 के सापेक्ष नई बोलेरो कैम्पर यू0के0–08–वी0 6369 बोलेरो कैम्पर कय की जा चुकी है। 3. नीलाम किये गये प्राधिकरण वाहन संख्या यू0ए0–08जी–3033, एमबेस्डर कार के सापेक्ष एक इनोवा कार कय की जा रही है। बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

58 मद संख्या 21	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद		
01		(1) विकास क्षेत्रान्तर्गत अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात एवं अन्य राज्य प्राधिकरणों की भॉति आवासीय योजनाओं को पी0पी0मोड पर विकसित किये जाने हेतु नीति निर्धारण प्रारूप तैयार करने हेतु अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता की समिति गठित किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से लिया गया ।	निर्णय के अनुपालन में अध्यक्ष, एच0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता की समिति गठित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1440 दिनांक 01.09.2015 द्वारा जारी किया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
		(2)सज्जनपुर पीली ग्राम सभा के अन्तर्गत मै0 एस0के0हर्बल प्रा0 लि0 द्वारा सतीश कुमार के रिजार्ट निर्माण हेतु प्राधिकरण में सेवा का अधिकार के अन्तर्गत जमा मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में गंगा नदी से 200 मी0 के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से अनापत्ति मांगी गयी। विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप कार्यालय पत्र संख्या 1637 दिनांक 24.09.2015 द्वारा प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिसार्ट मानचित्र को अस्वीकृत किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**
प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.11.2015 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या			
59 वीं बोर्ड बैठक	**सेल्यूलर/मोबाईल/ बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु भवन निर्माण एंव विकास उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**	सेल्यूलर/मोबाईल/ बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत करते हुए हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण परिक्षेत्र में लागू किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया लिया गया।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्या 2203 दिनांक 26 नवम्बर 2015 द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अनुपालन हेतु एवं हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में लागू किये जाने हेतु जारी किया गया। **अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।**

(अ) पत्रावली संख्या :– नि0–05(क)–2 / 01 / 2010
(ब) पत्रावली संख्या:– महा0–1 (ख)–25 / 2009–10
(स) पत्रावली सं0:–प्रशा0 2(क) 22 / 160 / 2016–17

मद संख्या–60(03)

दिनांक 19.07.2016 को आवास विभाग के अधिनियम से अधिसूचित विकास क्षेत्रों / विनियमित क्षेत्रों की महायोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी समीक्षा बैठक में निम्न प्रकार निर्णय लिए गये।

(अ) स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने विषयक।

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना 2025 में प्रस्तावित विभिन्न प्रखण्डों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 56वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 के मद संख्या 02 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उपरोक्त समीक्षा बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था मै0 फीड बैक इन्फ्रा प्रा0लि0, दिल्ली अनुपस्थित रहे। वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत हरिद्वार महायोजना–2006–2025 के आधार पर तैयार किये जा रहे जोनल प्लान पोपुलेशन के अनुसार मास्टर प्लान में कृषि भू–उपयोग से व्यवसायिक में परिवर्तन किया जाना शासन द्वारा अनिवार्य है। बाईलॉज एवं महायोजना के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक प्रार्थना पत्र करता है जिसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सन्दर्भित करना होता है। वर्तमान में 11 जोनल प्लान तैयार किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा 02 जोनल प्लान पर कार्यवाही गतिमान है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म मै0 फीड बैक इन्फ्रा प्रा0लि0, दिल्ली को नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, देहरादून से सम्पर्क स्थापित करते हुए जोनल प्लान के प्रस्तुतिकरण हेतु आमन्त्रित किया जाना है। जिसको अन्तिम रूप दिये जाने हेतु 04 से 05 माह तक का समय लगेगा। साथ ही वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि ऋषिकेश महायोजना के द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा रूड़की महायोजना तैयार किये जान हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना जोनल डवलपमेन्ट प्लान तैयार कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1521 दिनांक 29.07.2013 को जारी किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 01.08.2013 से प्रारम्भ कर 40 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था। विस्तृत जानकारी से सी0टी0सी0पी0 द्वारा बैठक के दौरान स्वयं अवगत कराया जायेगा।

(ब) ऋषिकेश महायोजना भाग–ब (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

समीक्षा बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था सी0ई0 इन्फो सिस्टम प्रा0लि0 एवं वरिष्ठ नियोजक, देहरादून द्वारा वर्तमान ऋषिकेश महायोजना–2011 जो वर्तमान में लागू है जिसका क्षेत्रफल 5462 हैक्टेयर है का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सजरा प्लान एवं मौके के

(ब) ऋषिकेश महायोजना भाग–ब (2011–2026) तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्य को अनुबन्ध के अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित न किये जाने पर वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि महायोजना के बेस मैप का क्षेत्रफल एवं राजस्व विभाग /अन्य विभागों का सीमांकन एवं भूमि का क्षेत्रफल समान होना आवश्यक है, कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

(स) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूड़की क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा मास्टर प्लान बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिस पर कार्य को प्राथमिकता से समयान्तर्गत सम्पादित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या–60(4) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक पर बोर्ड में विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा के उपरान्त प्राधिकरण को अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा प्रस्तुत आय–व्ययक को सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–60(5) उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि /विनियम–2011 (संशोधन–2015) में किये गये संशोधन को बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से अंगीकृत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।

मद संख्या–60(6) कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूड़की द्वारा कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा चर्चा उपरान्त सर्व–सम्मति से वर्तमान तक अवशेष सृजित

Secretary Vice Chairman Chairman

अनुसार लेखपालों को ऋषिकेश स्थित षाखा कार्यालय, ऋषिकेश में बुलाकर चैक्ड हो चुका है। नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व एवं महायोजना के मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल समान होना आवश्यक है। जिस पर कार्यवाही आवश्यक है।

जिस पर कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग संयुक्त रूप से मिलान कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

अवगत कराना है कि कार्यालय पत्र संख्या 958 दिनांक 15.06.2012 द्वारा मैससी सी0ई0 इन्फो सिस्टम प्रा0लि0 नई दिल्ली को अनुबन्ध दिनांक 09.05.2012 के अनुसार ऋषिकेश जोनल डवलपमैन्ट प्लान कार्य 25.06.2012 से प्रारम्भ कर 24.12.12 तक पूर्ण करना था।

(स) पत्रावली सं0ः—प्रशा0 2(क) 22 / 160 / 2016—17

(स) हरिद्वार—रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित रूडकी क्षेत्र में हेतु महायोजना तैयार किये जाने विषयक।

समीक्षा बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था सी0ई0 इन्फो सिस्टम प्रा0लि0 द्वारा रूड़की क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना हेतु फिजिकल सर्वे के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि हास्पिटल, स्कूल एवं कार्यालय को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है तथा पूर्व में निर्मित भवनों एवं सरकारी भूमि का सर्वे होना शेष है। रूड़की स्थित **विनियमित क्षेत्र** के अन्तर्गत धरातल पर क्या क्या कार्यवाही / सर्वे की गयी समस्त क्षेत्र का सर्वे उपरान्त प्रत्येक स्थल पर विद्यमान, भवन, स्कूल, आफिस रिक्त होने का क्षेत्रफल जिसका सर्वे 06 माह के अन्दर सर्वे करते हुए जी0आई0एस0 मैप तैयार करना वर्क आर्डर के अनुसार क्षेत्रफल 17500 हैक्टेयर है। पूर्व में 37 ग्रामों का सर्वे जिनका क्षेत्रफल लगभग 8000 का शेष 75 ग्रामों का सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। कुल 112 ग्रामों को सम्मिलित किया गया।

मद संख्या–60(04)

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

	Haridwar Development Authority, Haridwar						
	Budget 2016-2017	(Rs. In lac)					
		Actual 31.03.14	Actual 31.03.2015	Proposed 2015-16	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 25.08.2016
	Opening Balance	4514.75	4584.58	5073.63	5073.63	5961.01	5961.01
A	Revenue Income						
1	Interest on investments	359.48	313.05	320.00	355.69	300.00	0.00
2	Map Fee	228.95	253.03	300.00	306.29	100.00	12.38
3	Subdivision Fee50%	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	105.85
4	Compound Fee 25%	622.22	369.27	175.00	73.76	175.00	18.75
5	Supervision Fee	34.53	40.89	45.00	29.47	45.00	29.18
6	Other Income (Tender, Lease rent Etc.)	7.61	6.58	20.00	24.66	30.00	2.12
7	Development Fee 10%	170.88	217.65	40.00	23.33	50.00	16.50
8	Land use conversion Fee 10%	16.48	23.40	5.00	2.11	5.00	10.44
9	Ambaar Fee	10.05	12.80	20.00	10.50	20.00	7.43
10	Free hold Fee 10%	44.66	28.76	5.00	2.75	10.00	0.64
11	Maintenance Fee of Harilok	8.76	2.36	12.00	7.56	15.00	1.11
12	Maintenance Fee of Inderlok	0.00	0.00	20.00	7.38	15.00	4.76
13	Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.00	5.00	0.11	5.00	0.24
14	Haritama Fee	20.10	25.60	40.00	21.00	30.00	14.86
15	Sale of Broucher	0.05	0.58	5.00	0.66	5.00	0.00
A	Total Revenue Income	1523.77	1293.97	1012.00	865.27	955.00	224.26

Chief finance officer   Secretary   Vice Chairman   Chairman

	Haridwar Development Authority, Haridwar						
	Budget 2016-2017	(Rs. In lac)					
		Actual 31.03.14	Actual 31.03.2015	Proposed 2015-16	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 25.08.2016
B	Capital Income						
1	Shivlok scheme	2.15	3.16	3.00	3.56	2.00	0.32
2	Harilok scheme	0.50	2.35	15.00	7.43	25.00	5.29
3	Shyamlok scheme	4.21	3.54	5.00	0.45	5.00	0.14
4	Ashray Yojana	7.83	3.78	10.00	9.04	10.00	2.47
5	Transport Nagar, Haridwar	183.58	340.41	2200.00	196.13	3000.00	45.93
6	Indra Lok Scheme -1	64.52	80.36	2000.00	156.58	2200.00	15.46
7	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
8	NEW Scheme	0.00	0.00	50.00	0.00	500.00	0.00
9	Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	2000.00	0.00	1450.00	0.00
10	Recovery from staff for HBA & car loan etc.	0.35	0.56	1.00	0.32	1.00	0.00
11	Deposit work (AKM. MLA Nidhi Etc.)	0.00	0.00	1000.00	622.19	5.00	0.00
12	Infrast. Devt. Fund Works	0.00	0.00	965.00	444.83	1060.00	394.14
13	SELTER FUND EWS/LIG	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	55.85
	Total Capital Income	263.14	434.16	9749.00	1440.53	9808.00	519.60
	Total Income (A+B)	1786.91	1728.13	10761.00	2305.80	10763.00	743.86
	Total Income including Opening balance	6301.66	6312.71	15834.63	7379.43	16724.01	6704.87
A	Revenue Expenditure						
1-	Establishment						
(i)	Staff salary & allowances	205.00	268.02	325.00	333.76	350.00	136.95
(ii)	T.A. bill	0.81	1.46	2.50	1.84	2.00	0.06
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	4.39	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
(iv)	Honorarium	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
(vi)	Medical re-imbursement	2.52	0.21	10.00	0.31	5.00	0.31
	Total (A)	212.72	269.69	348.00	335.91	367.50	137.32

Chief finance officer   Secretary   Vice Chairman   Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar

Budget 2016-2017 (Rs. In lac)

		Actual 31.03.14	Actual 31.03.2015	Proposed 2015-16	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 25.08.2016
B							
2-	**Office / Misc. Expenditure**						
(i)	Postage	0.33	0.36	0.50	0.39	0.50	0.05
(ii)	Stationary	1.79	2.71	4.00	1.90	4.00	0.28
(iii)	Office maintanace	5.68	16.02	20.00	17.00	25.00	5.29
(iv)	Chairman office maintanace	5.49	2.73	4.00	1.08	4.00	0.49
(v)	Telephone Expenditure.	1.19	3.00	3.00	2.42	3.00	0.77
(vi)	Library	0.06	0.03	0.50	0.11	0.50	0.11
(vii)	Leagal Expenditure.	9.58	36.30	45.00	19.80	40.00	0.25
(viii)	Atithi Satkar	0.97	1.40	2.50	0.83	2.00	0.15
(ix)	Printing	1.20	0.57	2.00	0.40	2.00	0.45
(x)	Advertisement	10.21	8.67	28.00	22.80	25.00	4.27
(xi)	Audit Fee	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
(xii)	Misc. Expenditure	4.36	4.13	7.00	5.11	10.00	0.77
(xiii)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
(xiv)	Maint. Of Machines	0.00	1.04	1.00	0.21	1.00	0.53
(xv)	Maint of Electricity	3.39	4.41	7.00	3.71	5.00	2.36
(xvi)	Discresenory	0.00	0.00	2.50	1.37	5.00	0.00
(xvii)	Temp. Advance.	-19.55	2.41	2.00	0.00	2.00	0.58
(xviii)	Computer. Maintenance.	1.29	0.93	5.00	0.18	3.00	0.00
(xix)	Transfer of ambar Fee	0.00	6.26	20.00	0.00	15.00	2.63
(xx)	Maint. In Harilok	10.52	10.33	12.00	11.03	15.00	4.53
(xxi)	Maintenance Fee of Inderlok	0.00	0.00	10.00	5.40	25.00	17.41
(xxii)	Maintenance Fee of Transport Nagar,	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
(xxii)	F.B.T. & Other Tex	0.00	40.00	200.00	0.00	215.00	0.00
	Total (B)	**36.51**	**141.30**	**391.00**	**93.74**	**418.00**	**40.92**

Chief finance officer   Secretary   Vice Chairman   Chairman

Haridwar Development Authority, Haridwar

Budget 2016-2017 (Rs. In lac)

		Actual 31.03.14	Actual 31.03.2015	Proposed 2015-16	Actual 31.03.2016	Proposed 2016-17	Actual 25.08.2016
C							
3-	**Vehicle**						
(i)	Maint.	4.52	4.37	6.50	2.94	5.00	0.36
(ii)	Petrol / Diesel	8.60	8.57	12.50	8.07	10.00	3.31
(iii)	Vehicle on rent	0.00	0.00	8.00	7.63	8.00	0.00
	Total (C)	**13.12**	**12.94**	**27.00**	**18.64**	**23.00**	**3.67**
D							
4-	**Advance to Employee**						
(i)	Vehicle	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
(ii)	H.B.A	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00	7.50
	Total (D)	**0.00**	**0.00**	**9.00**	**0.00**	**9.00**	**7.50**
E							
5-	Master Plan	0.19	26.95	60.00	0.00	40.00	4.30
	Total (E)	**0.19**	**26.95**	**60.00**	**0.00**	**40.00**	**4.30**
F							
6	**Computrization of H D A office**	0.00	0.00	45.00	0.00	80.00	0.00
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E+F)	**262.54**	**450.88**	**880.00**	**448.29**	**937.50**	**193.71**
A	**Capital Exp.**						
1	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	0.00	30.00	11.43	20.00	14.51
2	Purchase of Computer.	2.96	2.91	5.00	0.55	3.00	0.00
3	Ferniture / fixture	13.80	1.92	8.00	6.48	7.00	4.16
	Total (A)	**16.76**	**4.83**	**43.00**	**18.46**	**30.00**	**18.67**
B							
5	Purchase of Land						0.00
(i)	For New Scheme(T.P.NAGAR)	382.85	0.00	2000.00	0.00	2500.00	0.00
	Total(B)	**382.85**	**0.00**	**2000.00**	**0.00**	**2500.00**	

Chief finance officer   Secretary   Vice Chairman   Chairman

	Haridwar Development Authority, Haridwar						
	Budget 2016-2017	**(Rs. In lac)**					
		Actual	Actual	Proposed	Actual	Proposed	Actual
		31.03.14	31.03.2015	2015-16	31.03.2016	2016-17	25.08.2016
C							
6	**Deveiopment/ const Works in Schemes**						
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
(iii)	Harilok Scheme	2.50	0.35	10.00	0.00	5.00	5.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
(v)	Interest. on Loan	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	46.21	165.29	1925.00	406.34	2200.00	165.49
(viii)	Deposit Works /kumb mela 2016	0.00	0.00	1000.00	270.14	300.00	140.05
(ix)	Haritama / Plantation	18.31	18.11	40.00	13.84	45.00	5.66
(x)	Transport. Nagar Scheme	**-21.42**	12.70	400.00	0.64	300.00	7.00
(xi)	BHEL. Rehab. Scheme	14.14	6.79	100.00	0.00	80.00	0.00
(xii)	Indra Lok Scheme- 1	964.47	576.54	500.00	259.20	500.00	6.35
(xiii)	Indra Lok Scheme - 2	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
(xiv)	NEW Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
(xv)	Bord fund	31.39	3.59	500.00	1.51	500.00	0.00
	Total (C)	**1055.60**	**783.37**	**5587.00**	**951.67**	**5542.00**	**329.55**
	Total Capital Expenditure	**1455.21**	**788.20**	**7630.00**	**970.13**	**8072.00**	**348.22**
	Total Expenditure	**1717.75**	**1239.08**	**8510.00**	**1418.42**	**9009.50**	**541.93**
	Closing Balance	**4583.91**	**5073.63**	**7324.63**	**5961.01**	**7714.51**	**6162.94**

मद संख्या–60(05)

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में किये गये संशोधन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 देहरादून के पत्र संख्या 836/V–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0 दिनांक 03 जून 2016 के साथ संलग्न प्रस्तावित भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन, 2015) में संशोधन को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं:–

उक्त संशोधन में उत्तराखण्ड राज्य के विकास प्राधिकरणों में भारत सरकार के **Ease to Doing Business** कार्यक्रम के तहत मानचित्र सवीकृति का सरलीकरण वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एंव मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न, प्राविधानानुसार भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही भवन निर्माण एंव विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में संशोधन इस आशय से प्रेषित किया गया है कि यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने तथा यदि स्थानीय परिशिष्ठ एंव आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन के उक्त प्रस्ताव के कम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में संशोधन को अंगीकृत करने तथा हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में लागू किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड/सभा के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–60(06)

कार्यालय विनियमित क्षेत्र रूड़की द्वारा विनियमित क्षेत्र रूड़की में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की अवशेष देयता के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 58 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–08 में लिये गये निर्णय के अनुसार विनियमित क्षेत्र रूड़की में कराये गये विभिन्न विकास कार्यो की अवशेष देयता सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु सचिव, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण सदस्य नामित करते हुये तत्सम्बन्धी आख्या प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में ऐसे समस्त प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण रूड़की में तैनात प्राधिकरण के अवर अभियन्ता से कराया गया। अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के निरीक्षण उपरान्त अपनी आख्या पत्रावलियों पर प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण उक्त समिति द्वारा किया गया। आख्या के अनुसार पत्रावलियों की स्थिति निम्नवत् है:–

विनियमित क्षेत्र द्वारा कराये गये विकास कार्यो की देयता का विवरण

क. सं.	कार्य का नाम	अनुबन्ध लागत	अभिलेखो के अनुसार भुगतान की गयी प्रथम बिल की लागत	अभिलेखो के अनुसार भुगतान की गयी द्वितीय बिल की लागत	प्रस्तावित अन्तिम बिल राशि	नकद के रूप में काटी गयी जमानत राशि	वर्तमान में कुल देय धनराशि (6+7)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रामनगर इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में सुनहरा रोड से उत्तरायण स्टील फैक्ट्री की ओर सी.सी. रोड का निर्माण कार्य। **स्थल परिवर्तन** रामनगर इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र की आन्तरिक सड़को का निर्माण कार्य।	6919187.00	2260448.00	1701575.00	2951192.00	553535.00	3504727.00	

2	सबजेल रूड़की में फुटपाथ का निर्माण कार्य।	1139630.00	355227.00	00.00	1332248.00	00.00	1332248.00	भुगतान की गयी प्रथम रनिंग बिल से जमानत राशि नही काटी गयी है।
3	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में सलेमपुर रोड, से सत्संग भवन होते हुये स्टील फैक्ट्री की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4735685.00	2337776.00	2023880.00	1119829.00	1183880.00	1021922.00	विनियमित क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित तृतीय / अन्तिम देयक के अनुसार कार्य की कुल लागत 4297605.00 दर्शित की गयी है। प्रथम एवं द्वितीय रनिंग देयक तक कुल रूपये–4361656.00 का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से जमानत के रूप में नकद राशि रूपये–1183880.00 की कटौति की गयी है। प्रस्तुत तृतीय देयक में द्वितीय देयक की राशि 840000.00 अंकित करते हुये घटाया गया है जो कि त्रुटि पूर्ण है। तृतीय बिल की राशि को 1119829.00 अंकित की गयी है जिसकी देयता नही बनती है। द्वितीय रनिंग बिल में आयकर एवं व्यापार कर कर की कटौति जिस प्रतिशत की अंकित दर से की की गयी है वह त्रृटिपूर्ण है। आयकर की देयता रू0–45942.00 तथा व्यापार की कर देयता 121433.00 होती है जिसके सापेक्ष कटोती क्रमशः 19068.00 एवं 50400.00 की कटौति गयी है, इस प्रकार दोनो मदो में रूपये–97907.00 की कम कटौति की गयी है। ठेकेदार को कार्य में 64051.00 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति जमानत राशि से करते हुये जमानत के रूप में रूपये–1021922.00 की देयता बनती है।
4	ग्राम सलेमपुर में मन्दिर से राजकीय स्कूल की ओर सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य। **<u>स्थल परिवर्तन</u>** मुख्य सड़क से लगी हुयी गलियों में कार्य।	1420300.00		451519.00	965030.00	00.00	965030.00	भुगतान की गयी प्रथम रनिंग बिल से जमानत राशि नही काटी गयी है।

5	ग्राम रामपुर में मौलाना फुरकान मोबिन, इकबाल नूर आदि की गलियों में सी.सी. सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	851000.00	733150.31	736834.34	00.00	58652.00	58652.00	कार्य का अन्तिम भुगतान किया जा चुका है। केवल जमानत राशि का भुगतान शेष है।
6	ग्राम ब्रम्हपुर में हरिद्वार रूडकी रोड़ से शिवालय मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य।	2426477.00	412078.00	00.00	1430279.51	00.00	1430279.51	कार्य अपूर्ण है। विनियमित क्षेत्र द्वारा द्वितीय बिल प्रस्तुत किया गया है। माप पुस्तिका सख्या–07 में तैयार किये गये द्वितीय बिल में से प्रथम बिल की मात्राओं को घटाकर प्रस्तुत किया गया है, जो कि त्रृटिपूर्ण है। द्वितीय बिल अपटुडेट नही है।
7	पुलिस कन्ट्रोल रूम की छत एवं दीवरो से पानी रिसाव की मरम्मत का कार्य।	226527.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	स्थल पर कार्य नही किया गया है।
8	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर रूडकी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन से डिवाईन इलैक्ट्रिकल फैक्ट्र की ओर नाला व सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4453310.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	स्थल पर कार्य नही किया गया है।
	योगः–	**22172116.00**	**6098679.31**	**4913808.34**	**7798578.51**	**1796067.00**	**8312858.51**	

कुल आयकर कटौति– रूपये–192574.00
कुल व्यापार कर कटौति रूपये–508808.00

उपरोक्तानुसार विनियमित क्षेत्र से विकास कार्यो की देयता के सम्बन्ध में कुल 08 पत्रावलियॉ प्राप्त है जिसमें से 06 पत्रावलियों के अनुसार स्थल पर कार्य कराया गया है तथा 02 पत्रावलियों के अनुसार स्थल पर कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। पत्रावलियों के सापेक्ष विस्तृत

विवरण आख्या के साथ संलग्न है। पत्रावलियों के अवलोकन उपरान्त कार्य की अवशेष देयता एवं बिलो से काटी गयी जमानत राशि सहित कुल देयता रूपये– 8312858.51 (तिरासी लाख बारह हजार आठ सौ अठ्ठावन एवं पैसे पांच एक मात्र) होती है।

पत्रावलियों के अवलोकन से विदित हो रहा है कि बिलों से आयकर के रूप में रूपये–192574.00 (एक लाख बानवे हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) एवं व्यापार कर के रूप में रूपये–508808.00 (पांच लाख आठ हजार आठ सौ आठ मात्र) की कटौति की गयी है किन्तु इस धनराशि का सम्बन्धित विभागो में जमा जमा होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नही है। इन कटौतियों के जमाओं की पुष्टि कराया जाना आवश्यक है। क्योकि यदि कार्यो का अन्तिमीकरण प्राधिकरण स्तर से किया जाता है तो समस्त देयको की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी।

अतः अवशेष देयता रूपये–8312858.51 (तिरासी लाख बारह हजार आठ सौ अठ्ठावन एवं पैसे पांच एक मात्र) का भुगतान करने एवं आयाकर तथा व्यापारकर की कटोतियों की जमाओं की पुष्टि कराये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्याः– प्रशा० 2(क) 22 / 159 / 2016–17

मद संख्या–60(07)

हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड/अभिलेखों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 959 दिनांक 27.08.2014 द्वारा हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण के गठन उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी, को प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया है। विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित अभिलेखों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर अधिशासी अभियन्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सहायक अभियन्ता एंव अवर अभियन्ता सदस्य हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या (**संलग्नक 01 पर**) के अनुसार विनियमित क्षेत्र के अभिलेखों एंव उसके सापेक्ष प्राप्त अभिलेखों का विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) विनियमित क्षेत्र के गठन वर्ष 1994 से वर्ष 2000–01 तक की अवधि का कोई मानचित्र एवं वाद पत्रावली/मानचित्र एंव वाद पजिंकायें एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, उक्त अवधि का रिकार्ड क्षतिग्रस्त दर्शाया गया है।

(ब) वर्ष 2001 से वर्ष 2014 तक प्राप्त एंव अप्राप्त रिकार्ड का विवरण निम्नवत् हैः–

क0	विवरण	वर्ष 2001 से वर्ष 2014 तक प्राप्त मानचित्र पत्रावलियों की संख्या	वर्ष 2001 से 2014 तक प्राप्त वाद पत्रावलियों की संख्या	वर्ष 2010 से 2014 तक प्राप्त निर्माण/विकास कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियों की संख्या	वर्ष 2001 से 2014 तक प्राप्त अन्य अभिलेखों से सम्बन्धित पत्रावलियों की संख्या
01	विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित **प्राप्त** अभिलेखों की संख्या	9435	581	83	172
02	विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित **अप्राप्त** अभिलेखों की संख्या	1211	290	17	....

उपरोक्त समस्त अभिलेखों का रख–रखाव श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक, विनियमित क्षेत्र रूडकी द्वारा किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त के कम में श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक, जिनका स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 853/**V**/आ0–2014–90 (आ0)/2011 देहरादून दिनांक 12 जून 2015 द्वारा काशीपुर किया गया है को कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु प्रकरण शासन को कार्यालय पत्र संख्या 811 दिनांक 05.08.2016 प्रेषित किया गया।

अतः उक्त प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एंव संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

देयता का भुगतान अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने का निर्णय लिया गया । आयकर व व्यापार कर की कटौती व जमा का मिलान व पुष्टि भी करके बोर्ड को अवगत कराया जाय।

मद संख्या–60(7) हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र रूडकी के रिकार्ड /अभिलेखों के हस्तान्तरण विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । सर्व–सम्मति से अप्राप्त अभिलेखों के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार, कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध मूल विभाग से विभागीय जॉच कराने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से लिया गया।

मद संख्या–60(8) प्रबन्धक श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा हरिद्वार–ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम परिसर में मार्ग के किनारे निर्मित अग्रभाग में निर्मित ''आश्रम'' उपयोग के ब्लॉक में भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति के निर्मित किये ''बैंकों'' को अनुमन्य करने का बोर्ड द्वारा निर्णय हुआ। यदि अन्य भवनों हेतु आवश्यकता हो तो सी0टी0सी0पी0 से राय प्राप्त करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये ।

मद संख्या–60(9) श्री समरेस कुमार सिंह पुत्र श्री राम नाथ सिंह, डायरेक्टर मैसर्स माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0–917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवं सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। मानचित्र सं0–मान0/हरि0/आर0एस0–54/96/2016–17 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमान्तर्गत मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला //गैराज अनुमन्य की गई ।

Secretary | Vice Chairman | Chairman

मद संख्या–60(08)

प्रबन्धक श्री प्रेमनगर आश्रम द्वारा हरिद्वार–ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम परिवार में मार्ग के किनारे निर्मित अग्रभाग मे निर्मित "आश्रम" उपयोग के ब्लॉक मे भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति के निर्मित किये "बैंकों" के निर्माण को शमन कराये जाने के साथ परिसर अन्तर्गत अन्य भवनों के नव निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या मान0 / हरि0 / आर0एस0–75 / 223 / 2015–16 की स्वीकृति के सम्बन्ध में

अवगत कराना है कि प्रबन्धक, श्री प्रेम नगर आश्रम द्वारा हरिद्वार–ज्वालापुर मुख्य मार्ग पर स्थित श्री प्रेमनगर आश्रम के परिसर में मार्ग के किनारे अग्रभाग में निर्मित "आश्रम" उपयोग के ब्लॉक में भूतल पर पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध बिना अनुमति के निर्मित किये गये "बैंकों" के निर्माण को शमन कराये जाने के साथ परिसर अन्तर्गत अन्य भवनों के नव निर्माण हेतु मानचित्र संख्या मान0 / हरि0 / आर0एस0–75 / 223 / 2015–16 दिनांक 30.10.2015 में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना–2025 के अनुसार स्थल के सम्मुख 30.00 मीटर मार्ग चौडे प्रस्तावित महायोजना मार्ग के मध्य बिन्दु से 15.00 मीटर की दूरी के पश्चात् "आश्रम" (**R-3**) के अन्तर्गत आता है। हरिद्वार महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार उक्त भू–उपयोग में "बैंकों" का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य है।

अतः आवेदक द्वारा निर्मित किये गये "बैंको" के निर्माण को शमन हेतु दिया गया प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्याः—मान0 / हरि0 / आर0एस0—54 / 223 / 16—17

मद संख्या—60(09)

श्री समरेस कुमार सिंह, पुत्र श्री राम नाथ सिंह, डायरेक्टर मैसर्स माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0—917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवम् सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या—मान0 / हरि0 / आर0एस0—54 / 96 / 2016—17 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री समरेस कुमार सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह, डायरेक्टर मै0 माईटी ऑटो व्हील्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अतमलपुर बौंगला के खसरा नं0—917 में स्थित भूमि पर मोटर शोरूम एवम् सर्विस स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या मान0 / हरि0 / आर0एस0—54 / 96 / 16—17 दिनांक 17.08.2016 प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्यानुसार उक्त स्थल का भू—उपयोग हरिद्वार महायोजना—2025 के अनुसार भूखण्ड के सम्मुख 60.00 मी0 चौडे महायेाजना मार्ग के मध्य बिन्दु से 30.00 मी0 की दूरी के पश्चात् आवासीय (आर—2) भू—उपयोग अन्तर्गत आता है। महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार उक्त भू—उपयोग में प्रस्तावित निर्माण अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत नहीं है। अपितु उक्त भू—उपयोग में प्रस्तावित निर्माण प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदन उपरान्त अनुमन्य है।

अतः उपरोक्त पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–60(10)

महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव, निरन्जनी अखाड़ा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं0–446 मि0, 443, 442 मि0, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में स्थित भूमि पर आश्रम / संस्था के अनुयाईयों एंव सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों के रूप में निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु (ग्रुप हाउसिंग) प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या–मान0 / हरि0 / आर0एस0–84 / 236 / 2015–16 के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव, निरन्जनी अखाडा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं0–446 मि0, 443, 442 मि0, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में आश्रम / संस्था के अनुयाईयों एवम् सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों के रूप में ग्रुप (हाउसिंग का) किये जाने की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या मान0 / हरि0 / **RS** / 84 / 236 / 15–16 प्राधिकरण में दिनांक 19.11.2015 में प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्यानुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना–2025 के अनुसार सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक (**PS**) भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। उक्त भू–उपयोग में धार्मिक भवन / परिसर का निर्माण अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत आता है। सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत आने वाली क्रिया कलापों की देखरेख हेतु सम्बन्धित परिसर के अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ / कर्मियों हेतु आवासीय फ्लैटों का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड / नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्त पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–60(10) महन्त ललितागिरी जी महाराज, सचिव,निरंजनी अखाडा द्वारा ग्राम जगजीतपुर के खसरा नं0–446 मि0, 443, 442 मि0, 444, लक्सर मार्ग, हरिद्वार में स्थित भूमि पर आश्रम /संस्था के अनुयाईयों एवं सेवकों हेतु आवासीय फ्लैटों (ग्रुप हाउसिंग) के रूप में निर्माण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र सं0–मान0/हरि0/आर0एस0–84/236/2015–16 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तद्नुसार बोर्ड द्वारा स्टाफ कर्मीयों हेतु आवासीय फ्लैट अनुमन्य किया गया ।

मद संख्या–60(11) श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहरहद्द) खसरा नं0–824 मि0, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला–हरिद्वार में स्थित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र सं0–मान0/हरि0/आर0एस0–41/75/2016–17 विषयक प्रस्ताव हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। अतः तद्नुसार बोर्ड द्वारा वाण्जियिक केन्द्र /होटल के लिये उपयोग अनुमन्य किया गया ।

मद संख्या–60(12) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद :–

1–श्री विनोद कुमार गोस्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत मानचित्र सं0–348 /महा–1(क)मान /हरि/आर0एस0/73/216/2015–16 डायरेटर एन0डी0आर0कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा स्वीकृत है उक्त स्वीकृति के अधीन निर्मित किये जाने वाल फ्लैटों को प्राधिकरण के माध्यम से विक्रय कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण के माध्यम से जो प्रचार–प्रसार किया जायेगा उस पर होने वाले व्यय का वहन आवेदक द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्राधिकरण

Secretary Vice Chairman Chairman

147

मद संख्या–60(11)

श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहरहदूद) खसरा नं0–824 मि0, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला–हरिद्वार में स्थित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र संख्या– मान0 / हरि0 / आर0एस0–41 / 75 / 2016–17 के सम्बन्ध में।

श्री विनोद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री जगदीश कुमार गोस्वामी द्वारा ग्राम रानीपुर (बाहर हदूद) परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित भूमि खसरा नं0–824 मि0 में व्यवसायिक स्वीकृति हेतु पर व्यवसायिक केन्द्र एंव होटल के निर्माण की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या मान0 / हरि0 / **RS**–41 / 75 / 16–17 दिनांक 11.07.2016 को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण मानचित्रकार की आख्यानुसार उक्त स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना–2025 में सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक (**PS**) भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण अनुमन्य भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण प्राधिकरण बोर्ड / नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य है।

अतः उपरोक्त पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय किये जाने के एवज में प्राधिकरण को विक्रित सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत प्राधिकरण को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2–श्री नजाकत आदि द्वारा प्राधिकरण के समक्ष तलपट मानचित्र स्वीकृति तथा उसके अन्तर्गत विकसित भूखण्डों को प्राधिकरण के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसमें योजनान्तर्गत समस्त विकास कार्य स्वयं कराये जाने के साथ–साथ प्राधिकरण के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय पर सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत लाभांश प्राधिकरण को दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड की 58वीं बैठक द्वारा नियुक्त समिति को सन्दर्भ करने का निर्णय लिया गया। इस विषय में बोर्ड की 58वीं बैठक द्वारा गठित समिति की नीतिगत संस्तुति अभी प्रतीक्षित है।

3–श्री मुकेश कुमार आहुजा आदि द्वारा आवास विकास परिषद, विवेक विहार कालोनी के भूखण्ड सं0–392 पर निर्मित निर्माण को ध्वस्त करते हुए व्यवसायिक कार्यों हेतु नवीन निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत स्थल देवपुरा से आर्यनगर चौक स्थित मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसका हरिद्वार महायोजना–2025 के अनुसार भू–उपयोग उक्त मार्ग के मध्य से 15 मीटर की दूरी के पश्चता 50 मीटर की दूरी तक व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत है। प्रश्नगत स्थल आवास विकास द्वारा स्वीकृत आवासीय तलपट मानचित्र के अन्तर्गत है। आवास–विकास द्वारा विकसित अनेकों कालोनियों हरिद्वार महायोजना के अन्तर्गत स्थित है। इस प्रकार के प्रकरणों में नीति निर्धारण की आवश्यकता है । अतः आवास–विकास द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत हरिद्वार महायोजना–2025 में निर्दिष्ट भू–उपयोग के अनुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून से राय प्राप्त करते हुए तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये ।

Secretary | Vice Chairman | Chairman

148

मद संख्या–60(12)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

4–श्री भगत राम कोठारी के विरुद्ध नटराज चौराहा देहरादून मुख्य मार्ग पर बिना स्वीकृति के बैंकट हॉल आदि का निर्माण कार्य किये जाने के कारण नो0/ऋषि0/129/2014–15 विचाराधीन है। आवेदक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आवेदन पत्र एवं मानचित्र प्रस्तुत करते हुए पूर्व में किये गये निर्माण को सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त कर होटल /बैंडिग प्वाईट के निर्माण की अनुज्ञा हेतु अनुरोध किया गया है। हरिद्वार महायोजना के अनुसार इसकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड /नियन्त्रक प्राधिकारी सभा द्वारा अनुमन्य है। यदि प्रश्नगत स्थल नगर सीमा के अन्तर्गत है तो वे नगर पालिका ऋषिकेश से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए तद्नुसार बोर्ड द्वारा अनुमन्य सीमान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही का निर्देश प्राधिकरण को दिये ।

5–रूड़की में नजूल भूमि को प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु उप सचिव को अधिकृत किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया ताकि रूड़की में ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कर जन–सामान्य को इसका अधिकाधिक लाभ प्राप्त कराया जा सके तथा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

6–प्राधिकरण में कार्यरत मानचित्रकार के संशोधित वेतनमान को शासन के आदेशों के अनुसार लागू किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

7–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को समानता बनाये रखे जाने हेतु उपनल के माध्यम से ही एक ही प्रकार से भरे जाने का निर्णय सर्व–सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

Secretary — Vice Chairman — Chairman

(149)

8–इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 सिडकुल में स्थित 10.50 एकड भूमि के विक्रय सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति निर्णय लिया गया कि सिडकुल में कार्यरत कमजोर वर्ग (इकानोमिक वीकली सैक्शन) एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए योजना में ई0डब्लू0एस0 एवं अल्प आय वर्ग के भवनों सहित वाणिज्यिक प्रावधान भी करने का निर्देश प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा दिये गये।

अन्त में उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एव व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयीं।

Secretary | Vice Chairman | Chairman

150